



2026:AHC:172771

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6221 वर्ष 2026

राहिल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : उमैर महमूद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 22 वर्ष 2017, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क, 323, 506, 376, 511 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-महिला थाना, जनपद-बिजनौर में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना तथा विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि, यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए जाने से पूर्व दिनांक 16.03.2026 को आवेदक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः सुस्थापित विधि के दृष्टिगत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। आवेदक न तो विवेचना में सहयोग कर रहा है और न ही विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो रहा है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

6. यह विवादित तथ्य नहीं है कि आवेदक द्वारा अपना अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए जाने से पूर्व वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को आवेदक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। आवेदक को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

7. आवेदक का आचरण उसे माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 955** में प्रतिपादित विधि के दायरे में ले आता है। उस मामले के तथ्यों में, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420 के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल किया गया था और इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया गया था। अभिलेख से यह प्रकट हुआ कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत किया गया था और तत्पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82, 83 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इसके बाद ही अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तथापि, बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई और जब मामला माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष आया, तो इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"19. गुण-दोष के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त फरार है और यहां तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अंतर्गत कार्यवाही भी 10.01.2019 को ही प्रारंभ की जा चुकी थी, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रासंगिक पहलुओं की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए इस आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न हुई है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार किए गए धोखाधड़ी आदि के विशिष्ट आरोपों पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के तथ्य की भी केवल यह कहते हुए पूर्णतः उपेक्षा कर दी कि "ऐसा होने पर भी"। अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में उक्त प्रासंगिक पहलू की उच्च न्यायालय द्वारा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय को उस पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए था, न कि लापरवाहीपूर्वक।"

8. माननीय शीर्ष न्यायालय ने लवेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 730 में अभिनिर्धारित किया है कि "सामान्यतः, जब अभियुक्त 'फरार' हो और उसे 'उद्घोषित अपराधी' घोषित किया गया हो, तो अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम पुनः दोहराते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया हो और वह गिरफ्तारी अधिपत्र के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो या स्वयं को छिपा रहा हो तथा संहिता की धारा 82 के अनुसार उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।

9. इसके अतिरिक्त, लवेश (उपर्युक्त) में पारित निर्णय का माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा, (2014) 2 सर्वोच्च न्यायालय विधि पत्र 171 में संदर्भ लिया गया और लवेश (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रस्तर 12 का संदर्भ देते हुए, उक्त निर्णय के प्रस्तर 16 में यह अभिनिर्धारित किया गया, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत् है :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"16.....उपर्युक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 82 के अनुसार फरार/उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

10. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2024) 12 सर्वोच्च न्यायालय विधि पत्र 382 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाने पर, न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होता है क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण या संरक्षण प्रदान किए जाने से न्याय का विफल होना हो सकता है। जब गिरफ्तारी अधिपत्र या उद्घोषणा जारी की जाती है, तब आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। श्रीकांत उपाध्याय (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 30 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

"30. हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत एक नियम है, तथापि किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत नियम है। यह नियम नहीं हो सकती और इसे प्रदान किए जाने का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए न्यायालय के सतर्क और विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाने पर, संबंधित न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होता है, क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण या संरक्षण प्रदान किए जाने से न्याय का विफल होना हो सकता है और इससे विवेचना काफी हद तक बाधित हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या साक्ष्य के विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारा यह आशय नहीं समझा जाना चाहिए कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की अनुचित गिरफ्तारी के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश स्पष्टतः उपर्युक्त मामलों में पारित किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी अधिपत्र या उद्घोषणा जारी की जाती है, तब आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। निस्संदेह, इससे न्याय के हित में चरम और अपवादात्मक मामलों में न्यायालय की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने की शक्ति समाप्त नहीं होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जो निरंतर आदेशों की अवहेलना करता है और फरार रहता है, ऐसी जमानत प्रदान किए जाने का अधिकारी नहीं है।"

11. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 सर्वोच्च न्यायालय विधि पत्र 24 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य प्रयोजनों को भी पूरा करना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल अपवादात्मक मामलों में ही प्रदान किया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 69 को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जाता है:

"69. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य न केवल अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य प्रयोजनों को भी पूरा करना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल अपवादात्मक मामलों में ही प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक विवेक का उचित रूप से प्रयोग, आरोप की प्रकृति और गंभीरता; आवेदक द्वारा न्याय से भागने की संभावना तथा अन्य कारकों पर विचार करने के पश्चात् किया जाना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना कुछ सीमा तक किसी अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और इसलिए, अग्रिम जमानत प्रदान करने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में प्रदान नहीं की जानी है और इसे तभी प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाना चाहिए जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि उस असाधारण उपचार का सहारा लेने के लिए अपवादात्मक परिस्थितियां विद्यमान हैं।"

12. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज, 2023 एससीसी ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 1085 में, दिनांक 29.8.2023 को दिए गए निर्णय में उद्घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन की पोषणीयता के संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जो निम्नवत् है (उक्त निर्णय का प्रस्तर 17):

"17. प्रत्यर्थी, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करने वाले आदेश को पहले सफलतापूर्वक चुनौती दिए बिना, अग्रिम जमानत की मांग करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, हम स्पष्ट हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह उद्घोषित अपराधी था। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि लवेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 730 में, इस न्यायालय ने उद्घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के विरुद्ध स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया था। इसी क्रम में, लवेश (उपर्युक्त) का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा, (2014) 2 एससीसी 171 में निर्णय दिया गया, जिसमें इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उद्घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होगा। निस्संदेह, किसी अपवादात्मक और विरल मामले में, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकते हैं, भले ही आवेदक उद्घोषित अपराधी हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं। तथापि, वर्तमान मामले में कोई अपवादात्मक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। प्रदीप शर्मा (उपर्युक्त) का अनुसरण करते हुए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 955 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कार्यवाही की उपेक्षा करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने में त्रुटि की थी। अभिषेक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2022) 8 एससीसी 282 में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



‘68. जहां तक अपीलकर्ता के विरुद्ध उद्घोषणा जारी किए जाने के प्रभाव का संबंध है, हमें यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे “फरार” घोषित किया गया है और जो विवेचना अभिकरण की पहुंच से बाहर रहता है और इस प्रकार विधि के साथ प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष की स्थिति में रहता है, सामान्यतः किसी रियायत या अनुग्रह का पात्र नहीं है। संदर्भ के रूप में, हम यह अभिलिखित कर सकते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अनुसार गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के अनुग्रह के संबंध में, इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब कोई अभियुक्त फरार हो और उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लाभ देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। [उदाहरणार्थ, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2022) 14 एससीसी 529, 2021 एससीसी ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 955] ...”

13. अतः, इस बिंदु पर विधि स्पष्ट है कि सामान्य नियम के अनुसार, ऐसे अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती, जो न्यायालय की प्रक्रिया के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो रहा हो या स्वयं को छिपा रहा हो, अपने फरार होने के लिए कोई विधिक या युक्तिसंगत औचित्य प्रस्तुत किए बिना और परिणामस्वरूप उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो।

14. आवेदक की ओर से न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवहेलना उसके अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन को ‘विरल और अपवादात्मक मामले’ की श्रेणी में पोषणीय मानने और इस प्रकार उसे अग्रिम जमानत प्रदान करने के दावे को समाप्त कर देती है।

15. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन को पोषणीय न मानते हुए, मैं वर्तमान आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता हूँ। ऐसा जानबूझकर चूक करने वाला व्यक्ति, जो विचारण न्यायालय या विवेचना में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता है, अग्रिम जमानत के माध्यम से इस न्यायालय से किसी राहत का हकदार नहीं है।

16. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।